



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022020-216266
CG-DL-E-19022020-216266

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 685]
No. 685]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2020/माघ 29, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2020/MAGHA 29, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2020

का.आ. 750(अ).—केन्द्रीय सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्यांक का.आ. 345(अ), तारीख 17 जनवरी, 2019 द्वारा इथेनोल ब्लेंडिंग कार्यक्रम के अधीन पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग के प्रयोजन हेतु बायो एथेनोल के विनिमन के लिए परियोजनाओं को पूर्व पर्यावरण अनापत्ति को त्वरित करने हेतु अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष से अधिक तक प्रवृत्त रहने वाली अधिसूचना प्रकाशित की है;

और, मंत्रालय को एथेनोल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अधिसूचना की वैधता एक वर्ष और बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात्, अनन्य रूप से जैविक ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग के सीमित उद्देश्य के लिए इथेनॉल के उत्पादन में तेजी लाने के लिए, संख्यांक का.आ. 345(अ), तारीख 17 जनवरी, 2019 द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता को इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाती है।

[फा. सं. आईए जे-11013/55/2017-आईए-II(I)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2020

S.O. 750(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government has published notification for expediting prior environmental clearances to the projects for manufacturing of bio-ethanol for the purpose of blending with the petrol under the Ethanol Blending Programme *vide* number S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019 to remain in force for a period of one year from the date of publication of the notification;

AND WHEREAS, the Ministry is in the receipt of representations for extension of validity of the notification for one more year to encourage to increase the ethanol production;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules in public interest, for expediting production of Ethanol for its limited purpose of blending with petrol exclusively for its usage as bio-fuel, hereby extend the validity of the notification issued *vide* number S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019 for a further period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. IA-J-11013/55/2017-IA.II(I)]

GEETA MENON, Jt. Secy.